न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5 / 2020 (डूंगरपुर डिक्री)

लेम्बा प्राकृतिक पिता काना डामोर गोद अनुसार माता केहरी पत्नि हीरा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

1. मोहन पिता लेम्बा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. साहेबा पिता लेम्बा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. खुमा पिता लेम्बा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. धनराज पिता लेम्बा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती होकली पत्नी लेम्बा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्रीमती शारदा पुत्री लेम्बा पत्नी रतना कटारा, निवासी भाटिया, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती रूखी पुत्री लेम्बा पत्नी रमेश डामोर, निवासी खेराई, तहसील मेघरज, जिला सांबरकाठा (गुजरात)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रायसन पिता रतना डामोर खोखर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रमण पिता रूपा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. जेसा पिता भुरा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. पुंजा पिता कालु डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. झालु पिता कला डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. मंगला पिता लेम्बा डामोर, निवासी टकारी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. भूमिधारी तहसीलदार, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
दिनांक 28.06.2019 प्र.सं. 95/2012

---/---

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1— श्री नरेश जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री अल्लाहनूर मंसूरी अभिभाषक रे.सं. 1, 2, 5
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7

---::---

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 12—09—2023</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा टेकरी में संवत् 2008 के खातेदार लालिया पिता हीरा डामोर (खांट) के खाते के खसरा नंबर 148, 149, 150, 165, 426 किता 5 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित थी एवं खसरा नंबर 152 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा हरलाल पिता वरसिंह लबाना के नाम खाता संख्या 43 में अंकन होने से संवत् 2019 में फर्द तुलनात्मक से खसरा नंबर 148 का 179, 149 का 180, 150 का 181, 152 एवं 762/152 का 182, 165 का 195 व 196 एवं 426 का 478 कायम हुआ। लालिया के खाते में संवत् 2008 में 3 बीघा 4 बिस्वा थी, लेकिन खसरा नंबर 152 जो लालिया के नाम से नहीं होकर अन्य खातेदार के नाम होते हुए लालिया के नाम से 12 बीघा भूमि अंकित हो गयी एवं लालिया की मृत्यु के पश्चात् उसकी माता केहरी बेवा हीरा के नाम 12 बीघा 19 बिस्वा भूमि सवंत् 2019 में अंकित हुई, जिसमें से खसरा नंबर 182 हरलाल वल्द वरसिंग लबाना के नाम अंकित था। केहरी लाऔलाद होने से उसकी सेवा चाकरी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने की इस कारण श्रीमती केहरी ने अपने खाते की आराजी में से 6 बीघा भूमि वादीगण को एवं अन्य 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को सुपुर्द कर दी, जिस अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बिना कब्जा काश्त के अंकित हो जाने से मौके पर विवाद करते हैं एवं वादीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात के 6 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावे। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28–06–2019 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–06–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 5 की ओर से वकील श्री अल्लाहनूर मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट व अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट काफी वृद्ध होकर बीमार रहती है तथा उसे कानूनी प्रकिया का ज्ञान नहीं है, जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी। दिनांक 05–05–2020 को निर्णय की जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा करीब 1 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि इन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से ही थी तथा इस दौरान कोराना काल नहीं था। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में यह मान लिया था कि प्रतिवादी संख्या 1 नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तो विधि अनुसार विवादित भूमि राज्य हित में समाहित की जानी चाहिए थी, न कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद डिक्री किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 182 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा मं से 6 बीघा का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को घोषित किया है, जबकि वादीगण की तरफ से वाद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उनका कब्जा किस आराजी पर है तथा पर्चा मौका में भी इस तरह का कोई इन्द्राज नहीं है। वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गयी थी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में एडवर्स पजेशन बाबत् कहीं अंकन नहीं है। वादीगण ने दूसरी तरफ वसीयत के आधार पर भी खातेदारी चाही है, जबकि जवानी वसीयत का कानूनन कोई महत्व नहीं है तथा अपने वसीयत के कथन को भी वादीगण द्वारा साबित नहीं कराया गया है। एक तरफ रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर वसीयत के आधार पर, जबकि दोनों विरोधाभाषी कथन है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 182 पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का कब्जा होने से उन्हें उक्त आराजियात में से 6 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया गया है। अपीलान्ट/प्रतिवादी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनों एक ही व्यक्ति होकर लेम्बा के प्राकृतिक पिता काना डामोर थे तथा लेम्बा केहरी के गोद जाने से केहरी के पति हीरा का नाम उसके प्राकृतिक पिता के रूप में अंकित हुआ। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 लेम्बा पिता हीरा डामोर के नाम अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के विपरीत जाकर केवल वादीगण/ रेस्पोन्डेन्टगण के कथनों के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 जो प्रश्नगत अपील में रेस्पोन्डेन्टगण हैं, का कब्जा मानते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उन्हें खातेदार घोषित कर दिया है, जबकि अपीलान्ट रेकार्ड खातेदार है तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 315 अनुसार प्रतिकूल कब्जे एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर खातेदारी अधिकार देय नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

शान्ति पिता धन्ना पटेल, जाति भील, नि. गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

तेजा पिता जोखा, जाति भील, नि0 गांव माचा, हाल अगोरया, तहसील सज्जनगढ़ व अन्य

अपील नं.....**06 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सज्जनगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**26**.....माह.....**12**.....**17**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री समर पण्डया**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजीव जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2017 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested